रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 1986/आश्विन 23, 1908
No. 235] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 1986/ASVINA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 126—आईटीसी (पी एन) 85/86

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1986

विषय :—1986-87 के लिए डी एम 35 मिलियन के पश्चिमी जर्मन पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन आयात के लिए लाइसेंसिंग शर्तें।

फाइल सं. आईपीसी/23/(11)/84-85 :—पश्चिमी जर्मन पूंजीगत माल क्रेडिट के अधीन आयात को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

परिशिष्ट

1986-87 के डी एम 35 मिलियन, के पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू शर्तें।

1. (1) जिस मामले में पूंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित आबंटन का मूल्य 2 मिलियन डी एम के तुल्य रुपए से अधिक होता है (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड-15 के अंतर्गत राजस्व) (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर निश्चित करके तुल्य रुपया उसमें आबंटन के लिए प. जर्मनी के प्राधिकारियों (क्रेडिटान्स्टाल्ट फर वी डॉपनाऊ (केएफडब्ल्यू) की पूर्व सहमति आवश्यक है, और यह सहमति भारतीय आयातक द्वारा अनुबंध-1 के प्रपत्र में दिए गए परियोजना आंकड़ों के आधार पर वार्षिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी। जब तक पश्चिमी जर्मनी के प्राधिकारियों से सहमति वार्षिक कार्य विभाग द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों (मुख्य नियंत्रक, आयातनियोत) को नहीं भेज दी जाती है तब तक भारतीय आयातक को कोई भी आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है।

1. (2) लाइसेंस पर "1986-87 के लिए 35 मिलियन डी एम पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट" अभिलेख अंकित किया जाएगा।

प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लाइसेंस संकेत "एल/जीएन" होंगे। ये मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस को अग्रेषित करने वाले पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

1. (3) बैंक खर्चे जो सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं, के अतिरिक्त आयात लाइसेंस के प्रति विदेशी मुद्रा के किसी धन प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय एजेन्ट का कमीशन, यदि कोई होगा, तो उसके भुगतान एजेंटों को भारत में भारतीय रुपए में करने चाहिए, लेकिन ऐसा भुगतान लाइसेंस मूल्य का ही भाग होगा और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किया जाएगा।

1. (4) इस आयात लाइसेंस के अधीन अधिप्राप्त किए जाने वाले माल और संबंधित सेवाएं केवल बर्लिन लैण्ड सहित जर्मनी गणतंत्र संघ से आयात किए जा सकते हैं।

1. (5) निम्न न्यूनतम और अधिकतम राशि जिसके लिए इस क्रेडिट के अधीन एक आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है वह क्रमशः 30,000 डीएम और 7,000,000 डीएम के रुपए के बराबर है लेकिन विशिष्ट मामलों में, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकतम सीमा में 10,000,000 डीएम तक ढील दी जा सकती है [राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर गिनकर तुल्य (रुपया) मुद्रा विनिमय की यह दर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 74 के अनुसार आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट होनी चाहिए।]

1. (6) लेकिन आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 24 महीने या नीचे पैरा 2(12) में यथा निर्दिष्ट पोतलदान की अन्तिम तिथि इनमें जो भी कम हो उस तक की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ इस शर्त के अधीन जारी किया जाएगा कि आयात लाइसेंस की न्यूनतम वैधता जारी होने की अन्तिम तिथि से 12 महीने होगी।

1. (7) पक्के आदेश (जिसका अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरक को क्रय आदेश और विदेशी संभरक दोनों के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा) आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर ही अवश्य निर्गत हो जाने चाहिए) देखिए नीचे का पैरा 1(9)। तदनुसार संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं को आदेश और/या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टि आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1. (8) यदि उपर्युक्त पैरा 1(7) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों की समय सीमा के भीतर निर्गत नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंसधारी को आदेश देने की अवधि में वृद्धि मांगते हुए एक प्रस्ताव मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सीसीआई एंड ई) को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को जैसा भी मामला हो, इस बात का औचित्य और स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नहीं दिये जा सके। आदेश देने के अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 4 महीने की और अवधि तक वृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निश्चयात्मक रूप से आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-1 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो ऐसी वृद्धि प्रत्येक मामले का गुणवत्ता के आधार पर विचार करेंगे और अपने निर्णय को लाइसेंस प्राधिकारियों को लाइसेंसधारी की सूचना के लिये भेजेंगे केवल लाइसेंस प्राधिकारी वृद्धि या मंजूरी प्रदान करने वाले केवल ऐसे पत्र लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत करने पर ही विदेशी मुद्रा की प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी बैंक गारंटी, साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र, तुल्य रुपए जमा करने की स्वीकृति आदि की सुविधा की अनुमति देंगे।

1. (9) लाइसेंसधारी को अपने हित के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्के आदेश देने की निर्धारित अवधि के भीतर पक्के आदेश वास्तविक रूप से दिया जाता है। जिन मामलों में इस बात का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता, उनमें लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने की अवधि में उचित वृद्धि के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए। विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारी/सम्बद्ध विभागीय प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच करेंगे कि लाइसेंसधारी 4 महीनों के भीतर आदेश देने की शर्तों का पालन करता है।

1. (10) जिन मामलों में लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं, उनमें लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लाइसेंस के आदेश न दिए गए ऐसे शेष मूल्य के लिए आदेश देने से पहले उपर्युक्त पैरा (3) में यथा उल्लिखित तरीके से लाइसेंस प्राधिकारियों की अनुमति ले।

खण्ड 2:—क्रय संविदाएं निर्गत करते समय ध्यान में रखे जाने वाली विशेष बातें।

2. (1) संविदा कीमत जर्मनी संघीय गणराज्य की मुद्रा में अभिव्यक्त होनी चाहिए। संविदा कीमत निश्चित और अन्तिम होनी चाहिए और किसी भी वृद्धि के लिए किसी भी उपबन्ध की अनुमति नहीं होगी। यदि विदेशी संभरक के किसी भारतीय एजेंट को कोई कमीशन चुकाया जाना है तो वह भारत के भारतीय रुपए में देय अलग मद के रूप में संविदा में अलग से दर्शाया किया जाना चाहिए और इसलिए विदेशी संभरक का विदेशी मुद्रा में देय कुल धनराशि भारतीय एजेंट के ऐसे कमीशन से अलग दर्शित होना चाहिए। आयात लाइसेंस के आधार पर जिस मूल्य तक क्रय आदेश दिए जा सकते हैं, उस मूल्य को विदेशी मूल्य की विदेशी मुद्रा में नामांकित करने के लिए आयात लाइसेंस का मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 15 के अंतर्गत राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित की गई और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर परिकलित किया जाना चाहिए।

2. (2) निजी क्षेत्र आयातकों के मामले में संभरण आदेश या तो लागत-बीमा-भाड़ा या लागत और भाड़ा आधार पर दिए जाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामलों में आदेश केवल लागत और भाड़ा के आधार पर किए जाने चाहिए।

2. (3) यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आयात लाइसेंस के अधीन क्रय संविदाएं विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद करनी चाहिए।

2. (4) अर्हक संविदा के लिए न्यूनतम मूल्य:—बशर्ते कि एक आयात लाइसेंस के अधीन क्रय संविदा का समस्त मूल्य 30,000 डीएम से कम न हो। आयातक के लिए यह स्वीकृति है कि वह 30,000 डीएम से कम या 30,000 डीएम के बराबर अलग-अलग संविदाएं करें। किन्तु एक आयात लाइसेंस के अधीन उन क्रय संविदाओं के मामले में जिनका मूल्य डीएम 2 मिलियन के बराबर से अधिक नहीं होगा तो यह नीचे की कंडिका 2(13) में निर्धारित शर्त के अधीन है।

2. (5क) आयात लाइसेंस के अंतर्गत क्रय संविदाओं का भारत सरकार और क्रेडिटान्सटाल्ट फार वीडेराफबाउ (केएफडब्ल्यू) (पश्चिमी जर्मनी विकास बैंक जिसके माध्यम से 25 मिलियन डीएम का पूंजीगत

माल क्रेडिट उपलब्ध किया जाता है) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और इसलिए क्रय संविदा में इस सम्बन्ध में एक विशेष धारा समाविष्ट करनी चाहिए।

(ख) एक आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिसका मूल्य विभाग डी एम 2 मिलियन के बराबर रुपये या इससे कम हो (राजस्व "सीमा शुल्क") विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर संगणित, के मामले में संविदाओं के अनुमोदन की सूचना विशेषतया आयातक को नहीं दी जाएगी। आयातक को सूचना देते हुए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा के एफ डब्ल्यू के एक बार ही संविदा दस्तावेज भेज देने पर आयातक उसी रूप में आगे कार्रवाई कर सकता है जैसा कि के एफ डब्ल्यू द्वारा संविदा अनुमोदित कर दी गई हो और यह कार्रवाई तब तक कर सकता है जब तक कि के एफ डब्ल्यू कोई आपत्ति नहीं करता। के एफ डब्ल्यू कोई आपत्ति करेगा तो वह सही ढंग से आयातक को सूचित कर दी जाएगी।

(ग) आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिसका मूल्य डी एम 2 मिलियन के बराबर रुपए की धनराशि से अधिक हो (राजस्व "सीमा शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर संगणित) के मामले में पहले भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा के एफ डब्ल्यू से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और यह अनुमोदन विशेष रूप से भारतीय आयातक को भेजा जाएगा और जब तक यह ऐसा न हो तब तक संविदाएं अंतिम समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए एक पत्रावली (तीन प्रतियों में) के साथ क्रय संविदा की तीन प्रतियां इस संबंध में भारतीय आयातक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-1) अनुभाग कमरा नं. 69 नार्थ ब्लाक को क्रय संविदा के निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भेजी जानी आवश्यक है कि विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद ही आदेश दिए गए हैं।

2. (6) जिन मामलों में संविदा लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर की गई है और विदेशी संभरक तदनुसार जहाजी बीमा प्राप्त करता है, उसमें विदेशी संभरक को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में बीमा प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और संबद्ध बीमा कंपनी से इस संबंध में एक वचनपत्र प्राप्त करना चाहिए कि यदि कोई बीमा धनराशि को भुगतान करना पड़ा तो वह डी एम में सीधे के एफ डब्ल्यू को किया जाएगा। (ड्यूशे बन्डेस बैंक फैंकफर्ट/मेन को लेखा सं. 50409100)।

2. (7) जिन मामलों में संविदाएं लागत और भाड़ा के आधार पर की गई है उनमें जहाजी बीमा किसी भारतीय बीमा कम्पनी के साथ करना चाहिए और तदनुसार बीमा किस्त भारतीय रुपए में चुकानी चाहिए। लेकिन आयातक को भारतीय बीमा कम्पनी से निम्नलिखित वचनपत्र प्राप्त करना चाहिए और उसको संविदा दस्तावेजों के साथ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (ईईसी-1 अनुभाग) को भेजना चाहिए :—

"हम किसी भी उस प्रतिस्थापन के लिए सम्बन्धित संभरकों को के एफ डब्ल्यू के माध्यम से विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण करेंगे जिसकी आवश्यकता माल की हानि या टूट-फूट के लिए हो सकती है।"

2. (8) चूंकि संविदाएं उपर्युक्त पैरा 2(2) के अनुसार या तो लागत बीमा भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर करना आवश्यक है, इसलिए चाहे भारतीय जहाज भी क्यों न उपयोग किए गए हों फिर भी विदेशी मुद्रा में भाड़ा खर्चा चुकाने के लिए विदेशी संभरक को उत्तरदायी बनाना चाहिए। भाड़ा खर्चा किसी भी परिस्थिति में भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए।

2. (9) लाइसेंस के प्रति विदेशी संभरकों को भुगतान नीचे खण्ड 3 में यथा उल्लिखित विशेष साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे और इस कार्य के लिए आयात लाइसेंस के प्रति धन प्रेषण की किसी भी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. (10) आयात लाइसेंस के आधार पर खरीदे गए माल के परिवहन का जहां तक संबंध है, इस विषय में क्रय संविदा के अधीन माल के पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी पार्टी ही वाहनों को चुनने के लिए स्वतंत्र होगी। पोतलदान जिस देश में संभरक रहते हैं वहां से या तीसरे देश से किया जा सकता है।

2. (11) बर्लिन लैंड सहित जर्मनी गणतंत्र संघ से खरीद के मामले में जिन संविदाओं का मूल्य डी एम 1 मिलियन से अधिक है। उनके लिए संभारित किए गए माल के निष्पादन के संबंध में विदेशी संभरक द्वारा निष्पादन गारंटी को प्रस्तुत करने के लिए क्रय संविदाओं में व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें आदेश मूल्य का 10 प्रतिशत भी होना चाहिए। प्राधिकार पत्र जारी करने का अनुरोध करने के लिए संविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुबंध 4 के प्रपत्र में निष्पादन गारंटी ईईसी 1 अनुभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। (अन्य संविदाओं के मामले में अर्थात् उन संविदाओं के लिए जिनका मूल्य उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा से कम है, भारतीय आयातक इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसे विदेशी संभरक से निष्पादन गारंटी की आवश्यकता है या नहीं) लेकिन, भारतीय आयातक को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि निष्पादन गारंटी से उत्पन्न यदि कोई भुगतान विदेशी संभरक से उसको देय हो तो उसका कगरकेडिटान्सटाल्ठ पर बीड़ोफ्नाड (ड्यूटेश बुन्डेस बैंक फ्रैंकफर्ट/मैन लेखा सं. 50409100 से सीधे किया जाना चाहिए।

2. (12) आयात लाइसेंस के अधीन विदेशी संभरकों को भुगतान 31 दिसम्बर, 1939 तक पूर्ण हो जाने चाहिए। इसलिए क्रय आदेश/संविदाओं में पोतलदानों को पूर्ण करने और 31 दिसम्बर, 1989 तक भुगतान करने का सुनिश्चय करने के लिए उचित उपबन्ध होना चाहिए। यदि किसी मामले में यह आशा की जाती है कि भुगतान उस तिथि तक पूर्ण नहीं किए जा सकते है तो पर्याप्त औचित्य देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली) से समय वृद्धि के लिए 31 अक्तूबर, 1989 तक आवेदन करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

2. (13) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य डी एम 2 मिलियन के बराबर रुपए से अधिक नहीं होता है, उनके मामले में भारतीय आयातक द्वारा क्रय संविदाएं आर्थिक कार्य विभाग को एक ही बार में प्रस्तुत करना आवश्यक है। संविदाओं को खंडों में प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 2(4) में वर्णित अर्हक संविदाओं के लिए न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखना चाहिए।

खण्ड-3 विदेशी संभरकों को भुगतान "विशेष" साखपत्र क्रियाविधि।

3. (1) प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र :—जिस आयात लाइसेंस का कुल मूल्य डी एम 2 मिलियन के बराबर रुपए से अधिक नहीं होता (राजस्व सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) उसके प्रति संभरकों के साथ क्रय संविदाएं निर्णीत हो जाने के 15 दिनों के भीतर या जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी एम 2 मिलियन के बराबर रुपए के अधिक होता है (राजस्व "सीमा शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) उसके प्रति की गई संविदाओं के के. एफ. डब्ल्यू. के अनुमोदन की सूचना देते हुए भारत सरकार के पत्र देखिए उपर्युक्त पैरा 2(5)(ग) की तिथि से 15 दिनों के भीतर इनमें से जो भी मामला हो, उसमें लाइसेंसधारी सम्बद्ध विदेशी संभरक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय साखपत्र के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, ईईसी-1 अनुभाग नार्थ ब्लाक,

(कमरा नं. 69) नई दिल्ली को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(क) जिस आयात लाइसेंसों का मूल्य डी एम 2 मिलियन के मूल्य रुपए से अधिक नहीं होता उनके लिए की गई संविदाओं के संबंध में :—

(1) क्रय आदेश की तीन प्रतियां, और विदेशी संभरकों द्वारा क्रय आदेश के पुष्टिकरण की तीन प्रतियां जो क्रमशः आयातक एवं संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों या उनकी फोटो प्रतियां साक्ष्यांकित प्रतियां या भारतीय अधिकर्ताओं को दिए गए आदेश और ऐसे अधिकर्ताओं द्वारा की गई पुष्टि स्वीकार्य नहीं है ।

या

क्रय संविदा की तीन प्रतियां जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या उनकी फोटो प्रतियां भारतीय अधिकर्ताओं को दिए गए आदेश की साक्ष्यांकित प्रतियां और ऐसे अधिकर्ताओं द्वारा की गई पुष्टि अस्वीकार्य है ।

(2) अनुबंध-2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र (तीन प्रतियां) ।

(3) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध-3 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के मामले में लागू नहीं) जो कि स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प समाहर्ता द्वारा विधिवत न्याय निर्णीत हो ।

(4) लागत और भाड़ा संविदा के मामले में भारतीय बीमा कंपनी के बचनपत्र की तीन प्रतियां देखिए उपर्युक्त पैरा 2(1)

(5) इस संबंध में तीन प्रतियों में प्रमाणपत्र की विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद आदेश दिए गए हैं, देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (3)

(6) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि लाइसेंस के अधीन आगे कोई भी संविदा नहीं की जाएगी, देखिए उपर्युक्त पैरा 2(13)

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी एम 2 मिलियन के मूल्य रुपए से अधिक होता है उसमें दी गई संविदाओं के सम्बन्ध में :—

पहले भेजे गए संविदा दस्तावेजों (जिनके संबंध में के. एफ. डब्ल्यू. का अनुमोदन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा) देखिए उपर्युक्त पैरा 2(5) (ग), अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे :—

(1) अनुबंध-2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) ।

(2) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध-3 में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में लागू नहीं) जो कि स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प समाहर्ता द्वारा विधिवत् न्यायनिर्णीत हो ।

(3) लागत और भाड़ा संविदा के मामले में भारतीय बीमा कंपनी से बचनपत्र की तीन प्रतियां, देखिए उपर्युक्त पैरा 2(7) ।

3. (2) यह स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में किसी भी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है ।

3. (3) साख पत्र खोलना

साख पत्र इस प्रयोजन के लिए पश्चिम जर्मन में मनोनीत निम्नलिखित दस बैंकों में से किसी एक बैंक में प्राधिकार पत्र के बल पर खोला जा सकता है :—

(1) स्टेट बैंक आफ इंडिया, फ्रैंकफर्ट ।

(2) दि बेयरिये डेरिस बैंक, म्युनिख ।

(3) दि कामर्स बैंक, ए. जी. फ्रैंकफर्ट ।

(4) दि ड्यूत्शे बैंक, ए. जी. हैम्बर्ग ।

(5) दि डेरडनर बैंक, ए. जी. गालसेगेलोज 7-8, 6, फ्रैंकफर्ट/मेन-1

(6) बर्लिनर हेन्डिस गेसल शेफ्ट, फ्रैंकफर्ट बैंक ।

(7) वैरिन्स एण्ड वैस्ट बैंक, हेम्बर्ग ।

(8) बैंक फार जीमियन्स रिट्सकाप्ट (बी एफ जी)

(9) बर्लिनर बैंक, एक्टिनजैसेलचैफ्ट, ए. जी. बर्लिन ।

(10) यूरोपियन एशियन बैंक ए. जी., हेमबर्ग ।

आयातकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के) और उनके बैंकरों की उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित नौ बैंकों में से उनके द्वारा चुने गए जर्मनी के बैंक को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए ।

3. (4)—(क) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी एम 2 मिलियन के बराबर रुपया या इससे कम है उसके प्रति आदेशों के मामले में पक्के आदेश देने की तिथि से या

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी एम 2 मिलियन के बराबर रुपए से अधिक है उसके प्रति संविदा के मामले में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संविदा के अनुमोदन के पत्र की तिथि से ऋण इनमें जो भी मामला हो उसमें 15 दिनों के भीतर प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने में असफल रहने पर आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन समझा जाए ।

3. (5) बैंक गारंटी—वह धनराशि जिसके लिए यह निष्पादित करनी चाहिए ।

जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक गारंटी (संविदा के पूर्ण मूल्य के लिए एक बैंक गारंटी) जिस धनराशि के लिए विदेशी मुद्रा/साखपत्र मांगा गया है उसके तुल्य रुपये के द्योतक धनराशि के लिए प्रासंगिक तथा बचनबद्धता खर्चों और इसके अतिरिक्त ब्याज तथा अनुबंध-5 में यथा उल्लिखित अन्य खर्चों के लिए इस धनराशि के एक प्रतिशत के लिए होनी चाहिए। परिवहन की प्रचलित दर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खंड-15 के अंतर्गत राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दर आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट दर होगी। इस दर का तात्पर्य केवल आयातक द्वारा भेजी जाने वाली बैंक गारंटी का मूल्य निकालने के लिए है । लाइसेंस के अधीन किए गए आयातों को विदेशी मुद्रा लागत के प्रति सरकारी लेखे में रुपया विनिक्षेप करने के लिए तुल्य रुपए की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करते समय जर्मन बैंक द्वारा खर्च की गई डी एम धनराशि के लिए निश्चित दर पर करनी होगी अर्थात् या तो डी एम में, यदि विदेशी संभरक पश्चिमी (बर्लिन सैण्ड सहित) में रहता है या समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 15-आईटीसीपीएन72 दिनांक 28-1-72, सार्वजनिक सूचना सं. 108-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21-7-72 और 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 के अनुसार किसी अन्य देश जिसमें विदेशी संभरक रहता है, की मुद्रा में भुगतान को प्रभावी करने के लिए डी एम धनराशि में भाग नोटिस जारी होने तक इस संबंध में जब और जैसे ही कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा ।

3. (6) प्राधिकार पत्र जारी करना :—

यदि उपर्युक्त पैरा 3(1) में निर्दिष्ट दस्तावेज नहीं पाए जाएंगे तो पश्चिम जर्मनी में नामिक वाणिज्य बैंक में आयातक का भारतीय बैंक

द्वारा खोले जाने वाले "विशेष" साखपत्र के आधार पर विदेशी संभरकों को निर्धारित धनराशि तक भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करते हुए वित्त मंत्रालय (लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक), आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यक को एक प्राधिकारपत्र (अनुबंध-6 के अनुसार) जारी करेगा। ऐसे प्राधिकार पत्र की एक प्रति भारतीय लाइसेंसधारी को भेजी जाएगी। मूल प्राधिकार पत्र की एक प्रति के साथ साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत सम्बद्ध भारतीय बैंक को इसके द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ मूल प्राधिकार पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यक बैंक को भेजने के लिए आदेश देते हुए भेजा जाएगा। (ऐसा निदेशन अनुबंध-5 के अनुसार होगा) इसकी एक प्रति आयातक को भी भेजी जाएगी।

जब तक इस कंडिका में यथा उल्लिखित प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक ने सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से सीधे प्राप्त न कर लिया हो तब तक भारत के किसी भी बैंक को साखपत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस धारी को सुविधाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए।

3. (7) पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यक बैंक में "विशेष" साखपत्र प्राधिकारपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए खोला जाना चाहिए। अन्यथा पहले ही जारी किया गया प्राधिकार पर वैध नहीं समझा जाएगा।

3. (8) अपेक्षित दस्तावेजों और विवरण पत्रों को एकत्र करने पर पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यक बैंक द्वारा विदेशी संभरकों को भुगतान किए जाएंगे। पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यक बैंक पश्चिम जर्मन प्राधिकारियों से डी एम धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा।

3. (9) जर्मनी गणतंत्र संघ में भुगतान के लिए बैंक द्वारा किए गए आनुषंगिक बैंक खर्चे जिस मामले में भी लागू होंगे वे भारत के सम्बद्ध बैंक द्वारा जर्मन बैंक को सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना प्रेषत किए जाएंगे।

खंड-4 सरकार के लेखे में रुपया जमा करने के लिए उत्तरदायित्व

4. (1) बर्लिन लैंड सहित पश्चिमी जर्मनी से और अन्य देशों से आयातों के दोनों मामलों में पश्चिम जर्मन के नामित वाणिज्यक बैंक द्वारा मूल लदान दस्तावेज भारत में सम्बद्ध बैंक को भेजने चाहिए। दस्तावजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर इन परक्राम्य दस्तावजों के सेट को लाइसेंसधारी को केवल इस बात का सुनिश्चय करने के बाद देगा कि नामित वाणिज्य बैंक द्वारा जर्मनी के संभरकों को चुकाई गई डी एम धनराशि के बराबर रुपया या जर्मनी के सम्बद्ध बैंक द्वारा तीसर देश में संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने में खर्च की गई डी एम धनराशि और इसका एक प्रतिशत आनुषंगिक का और बकनउद्धता खर्चों के लिए और विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से या के. एफ. डब्ल्यू. द्वारा पदनामित बैंक की प्रतिपूर्ति की तिथि इनमें जो भी पहले हो से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक (दोनों दिन मिलाकर) की अवधि के लिए उपर्युक्त कुल धनराशि ब्याज खर्चे आयातक से प्राप्त कर लिए जाते हैं और सरकारी लेखों में जमा किए गए हैं। सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार ब्याज खर्चे की गणना निम्नलिखित अनुसार की जाएगी, 1 सितम्बर, 1983 को या उसके बाद सरकारी लेखों में जमा करने की दर :—

(1) जहां संभरक को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के भीतर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से निक्षेप किए जाते हैं या के. एफ. डब्ल्यू. द्वारा नामित बैंक की प्रतिपूर्ति की तिथि पहले हो, इनमें जो भी पहले हो।

(2) जहां संभरक को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के भीतर रुपया निक्षेप किया जाता है या के० एफ० डब्ल्यू० द्वारा नामित बैंक को प्रतिपूर्ति की तिथि इनमें जो भी पहले हो।

(क) पहले 30 दिनों के लिए — 12 प्रतिशत प्रति वर्ष

(ख) 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए — 18 प्रतिशत

विदेशी संभरकों को विदेशी मुद्रा के तुल्य रुपए में किए गए भुगतान की गणना के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मिली-जुली दर होगी या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दर हो सकती है। भारतीय सम्बद्ध बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि आयातकों को मूल पोतलदान दस्तावजों के सौंपने से पूर्व यह सुनिश्चय कराए कि देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे में जमा करा दी गई है। लाइसेंसधारी को यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि उनके बैंकरों से दस्तावजों को लेने से पूर्व सरकारी लेखे में देय धनराशि ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है।

4. (2) उपर्युक्त 4 (1) में विचार किए गए निक्षेपों की धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में नकद जमा की जा सकती है या यदि यह सुविधाजनक हो तो वह धनराशि अभिकर्ता स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-7 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई. टी. सी. (पी एन)/74, दिनांक 31 मई, 74 और सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई. टी. सी. (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्तूबर, 71 द्वारा तथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 233-आई. टी. सी. (पी एन) /68-दिनांक 24 अक्तूबर, 68 के अनुसार अपेक्षित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए प्रेषित की जा सकती है। धनराशि जमा करने के लिए लेखा शीर्षक "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज-बी" डिपाजिट्स नोट बियरिंग इन्ट्रस्ट-843 सिविल डिपोजिट्स, डिपोजिट्स फार परचेजिज सक्सेट्रा एब्रोड डायरेक्ट पेमेन्ट प्रोसीजर डिपोजिट्स फार फोस्ट आफ सप्लाइज एण्ड इक्विपमेंट ओबटेंड अंडर दि वैस्ट जर्मन कैपिटल गुडस क्रेडिट 19 फार 1986-87 (डी एम 35 मिलियन क्रेडिट)।

4. (3) धन परेषण सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई. टी. सी. (पी एन)/74, दिनांक 31-4-74 में निर्धारित किए गए चालान प्रपत्र द्वारा जारी किए जाएंगे।

4. (4) रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 से चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 की डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना जिस भारतीय बैंक ने गारंटी जारी की है उसके द्वारा सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को पश्चिमी जर्मनी के नामित बैंक से प्राप्त की गई सूचना टिप्पणियों का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अग्रेषण पत्र के साथ भेजी जाएगी।

4. (5) केवल प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से अपेक्षित रुपया जमा करने और सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई. टी. सी. (पी एन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार उन्हीं से लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी पृष्ठांकित कराना आयातकों के लिए अनिवार्य होगा। उन्हें रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित "एस" प्रपत्र भी भरना चाहिए।

4. (6) एक लाइसेंस के अधीन आयात पूर्ण कर लेने के बाद और देय सभी धनराशि आयातकों/बैंकरों द्वारा लेखे में जमा कर देने

और प्राप्त किए गए आयात माल और जमा किए गए रुपए के ब्यौरे सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को अनुबंध-6 में यथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि वित्त मंत्रालय उनका सत्यापन करके जहाँ आवश्यक हो, आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को रिहा करने के लिए व्यवस्था कर सकें।

खंड-5 संविदा में परिवर्तन

संविदाओं की माल की सूची, शर्तों, या भुगतान की अनुसूची, माल के मूल्य आदि से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय और के. एफ. डब्ल्यू. प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, इसके परिणाम स्वरूप चाहे भुगतान पहले करना पड़े या उसको स्थगित करना पड़े। आयातकों द्वारा उपर्युक्त पैरा 2 (5) में यथा उल्लिखित तरीके से भारत सरकार/के. एफ. डब्ल्यू. के अनुमोदन के लिए कार्यवाही हेतु ऐसे परिवर्तन की सूचना आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (ई. ई. सी.-1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक) को तुरन्त देनी चाहिए।

खण्ड-6 रिपोर्ट भेजना

आदेश देने, माल की सुपुर्दगी, विदेशी संभरकों को भुगतान आदि को प्रदर्शित करते हुए लाइसेंस के जारी होने की तिथि से प्रारंभ करके अनुबंध-7 के अनुसार एक त्रैमासिक रिपोर्ट दो प्रतियों में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ई ई सी.-1 अनुभाग) कमरा नं. 69 नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए और इसको भेजना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि संविदा के अधीन सभी पोतलदान और सभी भुगतान पूर्ण न कर लिए जाएं। डी एम 2 मिलियन के तुल्य रुपए (राजस्व शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) से अधिक के आबंटन के मामले में ऊपर उल्लिखित त्रैमासिक रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को अनुबंध-9 में निर्धारित प्रपत्र में एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी यदि कोई विशेष घटना हो तो परियोजना की प्रगति पर और परियोजना का पूर्ण करने के लिए समय-समय अनुसूची के पालन पर प्रस्तुत करनी चाहिए और इसके साथ आयात करने वाली भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती कम से कम तीन वर्षों तक भेजना आवश्यक होगा।

खंड-7 विविध प्रावधान

7. (1) लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में किसी भी ऐसी शर्त से संभरकों को अवगत कराना ही चाहिए जो लेन-देन का अनुपालन करने में संभरकों को प्रभावित करे।

7. (2) विवाद :—1 यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय आयातक और विदेशी संभरक के बीच यदि कोई भी विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

7. (3) अनुदेशों का पालन : आयात लाइसेंस से संबंधित उसके कारण उठने वाले किसी एक या सभी मामलों के संबंध में के० एफ० डब्ल्यू० प्राधिकारियों के साथ 35 मिलियन डी.एम के पूंजीगत माल समझौते के अधीन सभी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अनुदेश और आदेश का लाइसेंसधारी को तुरंत पालन करना होगा।

7. (4) अतिक्रमण या उल्लंघन : उपर्युक्त धाराओं में निर्धारित शर्तों का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जायेगी।

7. (5) अनुबंधों की अनुसूची :

अनुबंध-1	परियोजना आंकड़ों का प्रपत्र
अनुबंध-2	प्राधिकार पत्र को जारी करने के लिए आवेदन का प्रपत्र
अनुबंध-3	बैंक गारंटी का प्रपत्र
अनुबंध-4	निष्पादन गारंटी का प्रपत्र
अनुबंध-5	प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
अनुबंध-6	प्राधिकार पत्र को भेजने के लिए अनुदेशों का पत्र
अनुबंध-7	बैंक गारंटी की रिहाई के लिए रुपया निक्षेपों की रिपोर्ट व आवेदन पत्र का प्रपत्र
अनुबंध-8	त्रैमासिक रिपोर्ट, प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
अनुबंध-9	(अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र) बीस लाख रुपए से अधिक के मामले के लिए लागू है।

अनुबंध—1

परियोजना आंकड़ा प्रपत्र

क्रेडिटएस्टाल्ट फार वाइडेरौफबौ

6, फ्रैंकफर्ट/मेन, जर्मनी संघीय गणराज्य पामेन-गार्टेनस्ट्रेसे 5-9

जर्मन पूंजीगत माल ऋण से विदेशी मुद्रा के लिए

आवेदन पत्र

परियोजना आंकड़ा

(1) आवेदक (फर्म)

(क) पंजीकृत कार्यालय (राज्य सहित पता)

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र संस्थान

(ग) व्यापार साइन/उद्योग की शाखा

(घ) कंपनी के साझेदार

(ङ) विदेशी सहयोग समझौता

(2) वित्त पोषित किए जाने वाले पूंजीगत माल की किस्म

(3) पूंजीगत माल के चुनाव का आधार कृपया अपनाई गई अधिप्राप्ति क्रियाविधि का संकेत करें। चूंकि पूंजीगत माल ऋण जर्मनी संघीय गणराज्य से खरीद के लिए उपलब्ध है इसलिए इस संबंध में संकेत किया जाना चाहिए कि विभिन्न देशों में निविदा के संबंध में पूछताछ की गई/चालू की गई थी और वह आधार क्या है जिसके लिए विशेष संभरक का चुनाव किया गया है।

(4) संभरक (नाम और पता)

(5) संपूर्ण परियोजना का संक्षिप्त विवरण (जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है)

(6) निम्नलिखित आंकड़ों के विश्लेषण के साथ संपूर्ण परियोजना की स्थानीय और विदेशी मुद्रा में कीमत :

भूमि एवं भवन

मशीनरी एवं उपस्कर

परिचालन निधि

विविध

(7) संपूर्ण परियोजना के लिए स्थानीय एवं विदेशी वित्तीय स्रोत, (वित्तदान) के साधनों से संबंधित मात्रित विवरण इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि रुपया वित्तदान है और इस आवेदन पत्र के अंतर्गत न आने वाली विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी कर ली/प्राप्त कर ली गई हैं)।

(8) प्राप्त किए गए औद्योगिक लाइसेंस के लिए उद्देश्य पत्र।

(9) [illegible] पत्र एवं लाभ तथा हानि के लेखे के साथ दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट। यदि उपलब्ध हो तो नवीनतम गति एवं लाभ का पूर्वानुमान।

(10) क्षमता

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्तमान क्षमता का औसत उपयोग

(ख) उपयोगाधीन मामले में कारण पृथक कारण दें।

(11) बिक्री (गत दो वर्षों)

(12) विनिर्मित किए जाने वाले उत्पादों की मांग की स्थिति (यदि संभव हो तो भूतकालीन एवं संभावी विकास के आंकड़ों को प्रदर्शित करें)।

(13) रोजगार

(क) कर्मचारियों की वर्तमान संख्या

(ख) परियोजना पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त कर्मचारी

(14) कच्चे माल के संभरण स्रोत

(15) परियोजना के निष्पादन के लिए समय-सारणी

अनुबंध—2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

(ई. ई. सी.-1 अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के माध्यम से)

विषय :—1986-87 (डी. एम. 35 मिलियन क्रेडिट) के लिए पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत .... से .... का आयात।
....

महोदय,

ऊपर उल्लिखित पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत ....से....................का आयात करने के संबंध में हम निम्नलिखित ब्यौरा आपको देते हैं ताकि आप ....के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, फ्रैंकफर्ट या बैयरिस्से वेरेंस ब्यूनिख अथवा कामंज बैंक ए. जी. फ्रैंकफर्ट अथवा ड्यूत्सेस बैंक ए. जी. हम्बर्ग अथवा ड्रेसे डेनर बैंक ए. जी. गालसेनलेज 7-8, 6-फ्रैंकफर्ट/मिन-1 या फ्रैंकफर्ट बैंक फ्रैंकफर्ट/एम. एन. मेन या वेरिस उर्ड वेस्ट बैंक, हमवर्ग अथवा बैंक फर जीमिस वर्तसचैफुट (बी. एफ. जी.) या बर्लिनर बैंक अक्टिनजैलेस चैफ्ट, ए. जी. बर्लिन अथवा यूरोपियन ऐसियन बैंक ए. जी., हमवर्ग के साथ पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी कर सकें।

(क) आयातक का नाम और पता

(1) क्या सार्वजनिक क्षेत्र का है या निजी क्षेत्र संस्थान का है।

(2) उद्योग की श्रेणी जिससे वह संबंध रखता हो।

(3) वह राज्य जिसमें स्थित हैं।

(ख) *लाइसेंस की संख्या, दिनांक एवं मूल्य (लाइसेंस की फोटो प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।*

(ग) भुगतान नियमों अर्थात (लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा) किसी भी मामलों में केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए) को दर्शाते हुए संभरक द्वारा दिए गए और स्वीकार किए आदेशों का विदेशी मुद्रा में मूल्य।

(घ) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र के पक्के आदेश (संभरक के पुष्टिकरण आदेश के साथ) आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से चार मास के भीतर दे दिए गए हैं। यदि 4 मास की निर्धारित अवधि के बाद आदेश दिए गए हैं तो जैसा भी मामला हो, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के पत्र/वित्त मंत्रालय के पत्र की एक ऐसी प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें आदेश देने के लिए समय वृद्धि के लिए प्राधिकार दिया गया है।

(ङ) इस संबंध में तीन प्रतियों में एक प्रमाण पत्र की समुद्रपार संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद पक्के आदेश दिए गए हैं। और यह कि न्यूनतम उपयुक्त तकनीकी दान स्वीकार कर लिए गए हैं। यदि तुलनात्मक बोली प्राप्त करना संभव नहीं है जैसे एकाधिकार मद, तो इसके लिए पूरे औचित्य दिए जाने चाहिए।

(च) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।

(छ) संभरकों को देय वास्तविक विदेशी मुद्रा (डी. एम. मुद्रा में व्यक्त की जाए) जिसके लिए प्राधिकार पत्र अपेक्षित है) अभिकरण कमीशन को छोड़कर)।

(ज) विदेशी मुद्रा में अभीकरण में कमीशन की धनराशि और भारतीय अभिकर्ता का नाम और पता।

(झ) सुर्पुदगी पूर्ण करने की अनुमानित तिथि।

(ञ) संविदा के अंतर्गत भुगतान के लिए पड़ने वाली सम्भावित तिथि को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूचि।

(ट) 2 मिलियन डी एम के बराबर आयात लाइसेंस के मूल्य के मामले में यह बताते हुए एक प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए कि आयात लाइसेंस के मद्दे सभी संविदाए पूरी कर दी गई हैं और आगे कोई भी संविदा नहीं की जाएगी जिसके द्वारा साख-पत्र खोला जाएगा।

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय अनुसूचित बैंक का नाम और ....और ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा .... रु० के लिए दी गई बैंक गारंट सं. ....दिनांक ....और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा विधिवत् व्यय - निर्मित की गई है, संलग्न है।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी)

प्रति ....बैंक को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुबंध - 3

गारन्टी बांड

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के लिए (इसके बाद इसे सरकार कहा गया) पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत क्रेडिट 1986-87 की शर्तों के अनुसार तथा उपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण में दिनांक ....को जारी किया गया लाइसेंस सं. .... का पालन करते हुए ....के द्वारा (बाद में इसे "आयातक"

कहा गया है) ..... के आयात के लिए भुगतान के लिए राजी होते हुए (विदेशी मुद्रा में उपर्युक्त धनराशि का संकेत करें) आयात के अनुरोध पर हम आयातक द्वारा मनोनीत ..... (वेस्ट जर्मनी में वाणिज्यिक बैंक का नाम) ..... बैंक द्वारा भुगतान की गई धन-राशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू परिवर्तित दर पर जो इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिकलित किया जाता है और इसके साथ 1 प्रतिशत की विदेशी संभरक को किए भुगतान की तारीख तक सरकारी लेखे में क्रेडिट के लिए समतुल्य रु० के भुगतान की तारीख तक या के एफ डब्ल्यू द्वारा नामित बैंक को प्रतिभूति की तिथि तक इनमें जो भी पहले हों, प्रथम 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर से और इससे अधिक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावती की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार के क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के अंतर्गत उपर्युक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्ष के महे संकेतिक है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं। वेस्ट जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परकाम्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जबकि ऊपर के अपेक्षित पूरे रुपए जमा कर लिए गए हैं।

2. हम ..... बैंक सरकार जहां और जैसा भी समय समय पर निदेश दे, आयातक द्वारा समयसमय पर सरकर को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की धनराशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य हो या उसका कोई भी अंश जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से इस पर प्रथम तीस दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर और इससे अधिक अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि को ..... रु. से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भुगतान करने में देर रहेगी तो इसकी भी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षति पूर्ति करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देरी होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबंध में जो राशि हमारे ..... बैंक द्वारा दी जानी है, उस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे उपर ..... अंतिम और अनिवार्य होगा।

3. हम ..... बैंक आगे इस बात पर सहमत है कि संविदा के अंतर्गत किसी मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे माल छुड़ाने की स्थिति में उसका मूल्य घट जाने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारंटी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम ..... बैंक आगे इस बात पर सहमत है कि इस गारंटी में जो कुछ निहित है, वे उल्लिखित करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होंगें और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा तब तक सरकार के अंतर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया देय पूर्णरूपेण चुकता न कर दिया गया हो और उसकी मांगें पूरी न हो गई हों या उन्मूलन न हो गई हों।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या वि ..... बैंक के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक और वि ..... बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करने और उपर्युक्त मामले के संदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो, इस गारंटी के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतन्त्रता बरती जाने पर वह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो जमानतों के संबंधित हो ..... बैंक पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. अंत में हम ..... बैंक यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए बिना मुद्रा में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

7. इस गारंटी के अंतर्गत ..... रुपए (इसमें ब्याज तथा अन्य प्रभार भी शामिल हैं, इस गारंटी को धनराशि के 1 प्रतिशत से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हम जिम्मेदारी लेते हैं और यह ..... दिन ..... मास ..... 198 ..... तक, जब तक इसकी तारीख से डेढ़ वर्ष के भीतर लिखित रूप में गारंटी के अंतर्गत मांगें पूरी नहीं कर ली जाती, इसे लागू रखा जाएगा और जब तक उसके बाद दूसरे डेढ़ वर्ष के भीतर अर्थात ..... तक उनकी मांगों के लिए मुकदमा या कार्रवाही लागू न हो जाए, इस गारंटी के अंतर्गत सरकार सभी अधिकारों से वंचित हो जाएगी और हम लोग इसके अन्वर निहित जिम्मेवारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे।

..... दिन का दिनांक .....

वास्ते ..... श्री ..... के द्वारा

(बैंक लि.)

नाम और ओहदा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत हस्ताक्षर

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

8. यह तारीख और एक मास के साथ प्राधिकार पत्र को वैध रखने तक की तारीख से लागू होगी।

टिप्पणी :—(1) स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, इसके मूल्य को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा व्याज निर्णित किया जाना है।

(2) बैंक गारंटी का मूल्य देखें उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 7 जो 1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् संविदा के वास्तविक लागत तथा भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा मूल्य होगा और आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को मुद्रा विनिमय सीमा शुल्क की प्रचलित दर पर परिवर्तित और शामिल किया जाएगा।

अनुबन्ध—4

(निष्पादित बाण्ड)

लाभभोगी का पता ..... मूल्य के ठेके पर ..... (परियोजना) के लिए मैसर्स ..... (जिसके बाद में ठेकेदार के नाम से पुकारा जायें) के साथ ..... को आपके ठेका करने के विचार हेतु

और चूंकि ठेके की यह एक शर्त है कि ठेके के मूल्य का 10 प्रतिशत का एक निष्पादन बाण्ड दिया जाए।

हम, अधोहस्ताक्षरी बैंक उपर्युक्त संविदा के अधीन सभी आपत्तियों तथा प्रतिवादों को दूर करते हुए, आपकी लिखित घोषणा के महे ठेकेदार ने अस्वीकार कर दिया है अथवा ऊपर उल्लिखित ठेके का निष्पादन करने में असफल रहा है (रुपये) ..... (..... शब्दों में) की सीमा तक आपके द्वारा मांगी गई किसी भी धनराशि का आपको प्रथम लिखित मांग पर बिना किसी विलम्ब एतद्द्वारा अपरिवर्तनीय तथा स्वतंत्र रूप से आपको भुगतान करने के लिए गारन्टी देते हैं।

इस गारंटी के अधीन यदि कोई क्लेम किया जाता है तो........ नाम में भुगतान क्रेडिटानस्टाल्ट कर बैरिफुर्टफैंकफर्ट/मैन (एकाऊन्ट सं. 50,409,100 ड्यूटशे बुन्डेसबैंक, बैंक के साथ) करना होगा। यह गारंटी तिथि को समाप्त होगी और उस तारीख तक ही कोई भी क्लेम रजिस्टर्ड पत्र अथवा केबल द्वारा अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

यह मान लिया है कि आप इसके अधीन दी गई हुई धनराशि के भुगतान समाप्त होने पर भी यह गारन्टी वापस हमको कर दें।

तिथि..........................बैंक..........................

अनुबंध-5

प्राधिकार पत्र की संख्या,.........

सं

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

(मनोनीत बैंक का नाम और पता)

जर्मन संघीय गणराज्य

विषय :—जर्मन संघीय राज्य ऋडी एम 35 मिलियन पूंजीगत माल क्रेडिट दिनांक 25-3-86 (एल एन-9665333) आयात लाइसेंस सं..........................दिनांक................ सीधे भुगतान क्रियाविधि के अधीन विदेशी संभरकों को भुगतान।

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त क्रियाविधि की शर्तों के अनुसार, हम आपको एतद्द्वारा सर्वश्री ....

..............द्वारा की गई संविदा के मद्दे..............

..........................के आयात के लिए..........................

....द्वारा

खोले गए साख-पत्र के अंतर्गत सर्वश्री..........................

को..का भुगतान करने के लिए, डी एम में जितनी भी धनराशि आवश्यक हो खर्च करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

2. चूंकि धनराशि डी एम 35 मिलयन (19) पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत विलवान को जानी है, दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनके विषय में बातचीत करें और साथ ही साथ क्रेडिटानस्टाल्ट कर वी डरफनों, फैंकफर्ट से अदायगी प्राप्तकर संभरक को भुगतान करें। यदि के एफ डब्ल्यू किसी कारण से धनराशि की अदायगी नहीं कर रहा है तो आप आवश्यक अदायगी के लिए इस विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. प्रत्येक भुगतान के बाद जहाजरानी एवं अन्य प्रकार के प्रलेख (परक्राम्य)..............को सीधे भेजे जाएं और प्रलेखों (अपरक्राम्य) के एक सैट के साथ एक भुगतान परामर्श हमें सूचनार्थ भेजी जाएं।

4. उपर्युक्त साखपत्र के अन्तर्गत आपके बैंक प्रभार.......... के द्वारा भारत द्वारा जमा अब से आपके साथ ही तय किया जाएगा।

5. यह प्राधिकार..........198..........तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति :—

1. एक प्रति भारतीय बैंक को।
2. आयातक को
3. के एफ डब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट को हम मंत्रालय के पत्र सं.............. दिनांक................के अनुसरण में।..............

उनसे अनुरोध है कि ....बैंक के,, अनुरोध पर तत्काल ही अनिर्णीत अदायगी के लिए प्रबंध करें।

4. ई ई सी-1 अनुभाग,

अनुबंध 6

विषय :—1986-87 के लिए डी.एम.-35 मिलियन पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत आयात-साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना। आयात लाइसेंस सं................ दिनांक............

प्रिय महोदय,

...............मे पत्र संख्या.......................... दिनांक..............के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने 1986-87 के लिए डी.एम. 35 मिलियन पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत आपके बैंक द्वारा साखपत्र खोलने की अनुमति मांगी है, मैं उन्हें विदेशी संभरक को......................तक भुगतान की व्यवस्था के लिए प्राधिकृत करते हुए आर्थिक कार्य विभाग का पत्र सं........... दिनांक..........................संलग्न करता हूं। (एक अतिरिक्त प्रति के साथ)

इस प्राधिकार पत्र को आपके द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ.......................................को भेज दिया जाना चाहिए।

2. इस विभाग को अवगत कराते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख के तीन दिनों के भीतर आपको साखपत्र खोलने का अधिकार दिया जाता है जो इसकी धनराशि............से अधिक नहीं होनी चाहिए। विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के भाग-7 की कंडिका 10 के अनुसार यह सुनिश्चित कर देना अपेक्षित है कि पोतलदान की अंतिम तारीख निश्चित होने के बाद साखपत्र की समाप्ति की तारीख 45 दिनों से पहले नहीं है जैसा कि संबंधित आयात लाइसेंस में बताया गया है या प्राधिकार पत्र में जो तारीख दी गई है इनमें से चाहे जो भी पहले हो नहीं होनी चाहिए। साखपत्र खोलने से पूर्व आयातक इस बात के लिए कृपया सुनिश्चित हो जाए कि उसके पास वैध आयात लाइसेंस है।

3. ....बैंक से पूछा जाए कि वे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बातचीत करें और साथ ही साथ के एफ डब्ल्यू से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर भुगतान करें।

4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि...................से दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर ही आपके द्वारा की गई संविदा के अनुसार आप लैण्ड बर्लिन सहित जर्मन संघीय गणराज्य में संभरक के लिए डी.एम. में भुगतान की या अन्य देशों के विदेशी संभरकों के लिए अन्य विदेशी मुद्रा में भुगतान का और इसके साथ एक प्रतिनिधि के हिसाब से अनुमानित और सौदे प्रभारों को प्रभावी बनाने के लिए,.......... पश्चिम जर्मनी में आमिल वाणिज्य बैंक का नाम) जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के समतुल्य रुपए ड्यूश मार्क में खर्च की गई धनराशि के समतुल्य रुपए की गणना आयात दुलाई के जारी होने तक सार्वजनिक सूचना सं. 15-आईटीसी (पीएन)/72; दिनांक 28-1-72 एवं सार्वजनिक सूचना सं. 158-आई टी सी (पी एन)/

72, दिनांक 21-7-72 और 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में यथा संकेतिक अदला-बदली की मिली-जुली मिश्रित दर से परिगणित की जाएगी। जब कभी विनिमय की आई० एम० एफ० की समदर में परिवर्तन होता है तो जो दर संशोधनार्थ है। संभरक को भुगतान की तिथि से और जिस तिथि को समतुल्य रुपया जमा किया गया है (दोनों दिन मिलाकर) प्रथम तीस दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर से और इससे अधिक के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना है। जैसा कि सार्वजनिक सूचना सं. 31 आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 में दिया गया है और जो संभरक को भुगतान की तिथि से गिना जाएगा या के०एफ०डब्ल्यू० द्वारा नामित बैंक को अदायगी की तिथि से गिना जाएगा; इनमें जो भी पहले हो। आयातक को लदान प्रलेखों को दिए जाने से पूर्व इन धनराशियों को जमा करने की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार से जमा की गई धनराशि सभी प्रकार से ठीक है, आपकी जिम्मेदारी होगी

5. ये धनराशि या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में नकद जमा की जानी चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा या इसके नियंत्रता (आदेशक) के द्वारा आपको प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली-6 (आदेशिती और पाने वाला) के नाम निकालने और भुगतान के लिए है, उसके द्वारा जमा की जानी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 233-आई टी सी (प एन)/68, दिनांक 24 अक्तूबर, 68 एवं संख्या 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्तूबर, 71 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें इसे जमा किया जाना है उसका लेखा शीर्ष, "के डिपोजिट एंड एवासेंज बी-डिपोजिट नाट बियरिंग इंट्रस्ट अंडर डायरेक्ट पेमेण्ट प्रोसीजर डिपोजिट फॉर कास्ट एप्लाइज एंड एक्यूपमेंट आबटेंट अंडर वेस्ट जर्मन केपिटल गुड्स क्रेडिट 15 फार 1986-87 (डी एम 35 मिलियन)" होगा।

6. मनोनीत जर्मन बैंक से प्राप्त सलाहकार नोट का पूरा विवरण देते हुए एक पत्र के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रुपया नकद में जमा करने में मामलों में चालान की एक मूल प्रति आपके द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए :—

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

डिमांड ड्राफ्ट द्वारा समतुल्य रुपया जमा करने में मामलों में जैसा कि ऊपर की सार्वजनिक सूचना दिनांक 24 अक्तूबर, 68 में बताया गया है, उसकी सूचना ऊपर दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की जो धनराशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिए ब्याज परिगणित किया गया है उसके विवरण के साथ जमा लिए गए समतुल्य रुपए का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए।

7. खोले जाने वाले साखपत्र में इस संबंध में एक भुगतान वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए कि बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कोई दावा/और/या गारण्टी के निष्पादन स संबंधित बैंक गारंटी से होने वाले कोई दावे बीमा कंपनी और/या डी. एम. में गारंटी देने वाले बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को अवगत कराते हुए सीधे ही एक डब्ल्यू (लेखा सं. 504, 09100 डयूसचे बन्देसयके, प्रेंफर्ट/मिन) को प्रेषित किया जाने चाहिए।

8. जिस विदेशी मुद्रा में प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, उसी में साख पत्र खोला जाना चाहिए।

9. भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो भारत में अदा किया जाना।

10: कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्राधिकार पत्र की संख्या.. ....की एक प्रति के साथ प्रति सूचना एवं उसके दिए गए पत्र के संदर्भ में सर्वश्री...............................की प्रेषित।

लेखा अधिकारी

अनुबंध-7

प्रपत्र

1. जिस आयातक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारंटी भेजी गई उसका नाम और पूरा पता।
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक एवं मूल्य।
3. भेजी गई गारंटी की संख्या, दिनांक एवं धनराशि।
4. साखपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्राधिकारपत्र ब्यौरे :—
   (क) प्राधिकरपत्र की संख्या एवं दिनांक।
   (ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
5. प्रभावी किए आयातों एवं जमा किए गए रुपयों के ब्यौरे :—
   (क) संभरक का नाम
   (ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरक को चुकाई गई वास्तविक धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
   (ग) वेस्ट जर्मनी में नामित बैंक द्वारा संभरक को किए भुगतान की तारीख
   (घ) जमा किए गए रुपए की धनराशि :—
      (1) संभरक को चुकाई गई विदेशी मुद्रा की धनराशि का समतुल्य रुपए (विदेशी मुद्रा की एक एकक की दर से)
      (2) चुकाया गया ब्याज
      (3) जिस अवधि तक ब्याज परिकलित किया गया है... .. ..से ....तक।
      (4) कुल किए गए जमा
      (5) जमा करने का दिनांक और स्थान।
      (6) राजकोष चालान की संख्या एवं दिनांक (इसे संलग्न किया जाना है) यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया गया है तो उसकी संख्या एवं दिनांक का संदर्भ उद्धृत किया जाए।
      (7) यदि उपर्युक्त (घ) (4) में लिखित रुपया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया गया था तो ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली को भेजा गया था उसके ब्यौरे का उल्लेख किया जाए।
6. प्रत्येक प्राधिकार-पत्र के मद्दे प्रयुक्त एवं उपर्युक्त शेष धनराशि (विदेशी मुद्रा में)
7. इस संबंध में एक प्रमाणपत्र को उपर्युक्त कंडिका-6 में संकेतित शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके लिए कोई पोतलदान नहीं किया गया है तथा उसे समाप्त हुआ समझा जाए।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र अनुबंध

कंपनी का नाम	निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र	उद्योग की श्रेणी	कंपनी का पता	आवेदन की धन-राशि (रुपए में)	आयात लाइसेंस की सं. दिनांक एवं मूल्य रु. में	संविदा का मूल्य (विदेशी मुद्रा में)	साख पत्र का मूल्य	साखपत्र के मद्दे चुकाई गई धन-राशि (विदेशी मुद्रा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टिप्पणी :—डी. एम. 2 मिलियन के समतुल्य रुपए से अधिक आबंटन से संबंधित रिपोर्ट के अतिरिक्त यदि मुद्रा की दर राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित कर दी गई हो लाइसेंसधारी के लिए परियोजना पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय के अनुपालन के लिए विशेष अवसर पर, यदि कोई हो तो अनुबंध-9 के रूप में अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट को भेजना भी आवश्यक होगा और इसके साथ परियोजना के पूर्ण होने तक कम से कम तीन-तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी भेजना आवश्यक होगा।

अनुबंध-9

पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट भेजने का प्रपत्र 30 जून/31 दिसंबर।

1. कंपनी का नाम तथा पता (प्रधान कार्यालय का पता तथा फैक्ट्री का भी पता)
2. वह राज्य जिसमें वह स्थित है (जिस राज्य में प्रधान कार्यालय स्थित है यदि उससे भिन्न राज्य में फैक्ट्री स्थित है तो उसका साफ-साफ संकेत किया जाना चाहिए)।
3. क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान है या निजी क्षेत्र संस्थान है?
4. उद्योग की वह शाखा जिसमें यह संबंधित है।
5. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्रेडिट के अंतर्गत आबंटन का मूल्य।
6. पूंजीगत माल की मदों के विनिर्माण के विवरण के साथ परियोजना का संक्षिप्त विवरण।
7. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक तथा मूल्य।
8. डी. एम. में लाइसेंस के अधीन संविदा (ओं) का मूल्य।
9. .... को डी. एम. में संभरकों को भुगतान की गई धनराशि।
10. यदि आयात लाइसेंस में शेष धनराशि है तो क्या उसके उपयोग किए जाने की संभावना है। यदि ऐसा है तो वह कितनी है और कितनी जल्दी इसे आगे संविदा द्वारा उपयोग में लाया जा सकता।
11. समय-सारिणी रखना, वास्तविक तिथियों के साथ सारणी की तुलना और समय सारणी को परिवर्तन करने के लिए क्या कारण है।
12. यदि नहीं तो उसके विस्तृत कारणों सहित परिशोधित समय-सारणी : ,,
13. परियोजना की प्रगति :—
    1. माल का संभरण (सुपुर्दगी की शर्तें)
    2. स्थापना (किस्म तथा कोटि)
    3. प्रचालन (अंतिम स्वीकृति, किए गए प्रयोग संचालन के परिणाम)
14. परियोजना की समापन तिथि
15. परियोजना की आर्थिक उलझनें
16. लागत और वित्तीय योजना का कार्यान्वयन, योजना की वास्तविक मूल्य के साथ तुलना
17. परियोजना को चालू करने से संबंधित कोई विशेष घटनाएं।
18. परियोजना की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियां)

टिप्पणी :—जो लागू न हो उसे काट दें।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 126-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 15th October, 1986

Subject: Licensing Conditions for imports under the West German Capital Goods Credit of DM 35 million for 1986-87.

F. No. IPC/23(11)/84-85.—The terms and conditions governing imports under the West German Capital Goods Credit as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX

Conditions attached to import licences issued under the West German Capital Goods Credit of DM 35 million for 1986-87.

I. (i) Where the value of allocation approved by the Capital Goods Committee exceeds the rupee equivalent of DM 2 million (the rupee equivalent being determined at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962) the prior concurrence of the West German authorities/ Kredi anstalt fur Wiederaufbau (KFW) to the allocation is obligatory, and this would be obtained by the Department of Economic Affairs on the basis of the project data to be supplied by the Indian importer in the form at Annexure-I. Till such concurrence from West German authorities is communicated to the Licensing authorities (CCI&E) by the Department of Economic Affairs no import licence can be issued in favour of the Indian importer.

I. (ii) The licence shall bear the superscription "DM 35 million West German Capital Goods Credit for 1986-87". The licence code for the first and second suffix will be "S/GN". These will also be repeated in the CCI&E's letter forwarding the import licence.

I. (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the Import Licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channel. Payments towards Indian Agent's commission, if any, should be made in Indian rupee to the agents in India. Such payments however, will form part of the licence value and will therefore be charged to the licence.

I. (iv) The goods and related services to be procured under this import licence can only be imported from the Federal Republic of Germany including the Land Berlin.

I. (v) The minimum and the maximum amounts for which an import licence can be issued under this Credit is the rupee equivalent of DM 30,000 and DM 7,000,000 respectively. However, in exceptional cases, the maximum limit can be relaxed by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance upto DM 10,000,000 (rupees equivalent being calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) which rate of exchange should be indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports).

I. (vi) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 24 months or the last date of shipment as indicated in para 2(xii) below, whichever is less subject however to the condition that the import licence will have a minimum validity of 12 months from the date of issue.

I. (vii) Firm orders (meaning thereby purchase Order by the Indian Licensee on the foreign supplier supported by order confirmation from the letter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier) must be finalised within a period of 4 months from the date of issue of the import licence (vide para I(ix) below). Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I. (viii) If firm orders, as explained in para I (vii) above, cannot be finalised within the time limit of four months, the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E), or other licensing authorities, as the case may be a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (EEC I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and convey its decision, to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of such letters of the licensing authorities sanctioning extension will the authorised dealers in foreign exchange and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letters of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of rupee equivalent etc.....

I. (ix) It will be in the interest of the licensee to ensure that firm order is finalised within the stipulated time limit for ordering. In cases where this cannot be done the licensee should of his own, approach the licensing authorities for a suitable extension in the period of ordering. The authorised dealers in foreign exchange/departmental authorities concerned will exercise necessary checks to ensure that the licensee complies with the requirements of placing orders within 4 months.

I. (x) In cases where firm orders have not been placed for the full value of the licence during the

initial validity period of the licensees it will be necessary for the licensee to obtain the permission of the licensing authorities in the manner as explained in para 1(viii) above before placing orders against such unordered balance value of the licence.

Section II: Special points to be kept in view while concluding purchases contracts.

2. (i) The contract price should be expressed in the currency of Federal Republic of Germany. The contract price should be firm and final and no provision for any escalation would be permitted. If any commission is payable to an Indian Agent of the foreign supplier it must be distinctly shwn in the contract as an item of cost payable in Indian rupees in India and the net amount payable to the foreign supplier in foreign currency should therefore be shown exclusive of such Indian Agent's commission. For the purpose of calculating the value in foreign exchange upto which purchase orders can be placed against the import licence, the value of import licence should be computed at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)|74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports.

2. (ii) Supply orders should be placed either on CIF or on C&F basis in the case of private sector importers. In the case of public sector importers the orders should be placed only on C&F basis.

2. (iii) It should clearly be understood that the purchase contracts under the import licence should be placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers.

2. (iv) Minimum value of eligible contract—provided that the aggregate value of purchase contracts under an import licence is not less than DM 30,000. It is permissible for the importer to enter into individual purchase contracts for a value of less than DM 30,000 or equivalent of DIM 30,000. This is however subject to the condition prescribed in para 2 (xiii) below in respect of purchase contracts under an import licence the value of which does not exceed the rupee equivalent of DM 2 million.

2. (v) (a) The purchase contract under the import licence is required to be specifically approved by the Government of India and the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) (the West German Bank Development Loan Corporation through which the West German Capital Goods Credit of DM 35 million has been made available) and therefore should incorporate a specific clause to this effect in the purchase contract.

(b) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 2 million or less (calculated at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs), the approval of the contracts will not be specifically, intimated to the importer. Once the Ministry of Finance Department of Economic Affairs have forwarded the contract documents to the KFW under intimation to the importer, he may proceed as if the contract has been approved by the KFW also unless the KFW raises any objection subsequently in which event the importer will be informed suitably.

(c) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is for an amount exceeding the rupee equivalent of DM 2 million. [calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) the approval of the KFW will be first obtained by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and specifically communicated to the Indian importer and until then the contracts should be treated as provisional. For this purpose 3 copies of the purchase contract alongwith a certificate (in triplicate) that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign suppliers are required to be sent by the Indian Importers to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (EEC I Section) Room No. 69, North Block] within a fortnight from the date of conclusion of the purchase contract.

2. (vi) Where contract is placed on CIF basis and accordingly the foreign supplier takes out the marine insurance, the foreign supplier should arrange to take out insurance in a freely convertible currency and obtain an undertaking from the insurance company concerned that payment if any arising out of insurance claims, would be made directly in DM to KFW (AC| No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt|Main).

2. (vii) Where contracts are placed on C&F basis the marine insurance should be taken out with an Indian insurance company and the premium should accordingly be paid in Indian Rupees. However the Indian importer should obtain the following undertaking from the Indian insurance company and furnish it (in triplicate) to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (EEC I Section) alongwith the contract documents:—

> "We shall make remittance in foreign currency to the overseas suppliers through KFW for any replacement, that may be necessitated by loss or damage to goods".

2. (viii) As the contract are required to be placed either on CIF basis or on C&F basis as per para 2(ii) above, the foreign suppliers should be made responsible to pay the freight charges in foreign currency, even where Indian ships are used. In no circumstances the freight charges should be paid in Indian rupees.

2. (ix) Payment to foreign suppliers against the licence will be made by means of a 'Special' letter of credit as explained in Section III below and no remittance facility will be permitted against the import licence for this purpose.

2. (x) As regards transportation of goods purchased against the import licence, the party responsible for arranging shipment of the goods under the purchase contract will be free to choose the carriers.

2. (xi) For contracts whose value exceeds DM 1 million in the case of purchases from the Federal Republic of Germany including Land Berlin, the purchase contracts should provide for furnishing of performance guarantee by the Bank of the foreign supplier in regard to performance of the goods supplied. (covering 10 per cent of the order value). The performance guarantee in the proforma at Annexure-IV should be submitted to EEC I Section on submission of contract documents for request for insurance of letter of authority (in the case of other contracts, namely for contracts whose value is less than the limit indicated above, the Indian importer is free to decide the question whether or not he needs a performance guarantee from the foreign supplier). It should, however, be ensured by the Indian importer that payments, if any, due to him from the foreign supplier arising from the performance guarantee stipulations should be made direct to Kreditansalt fur Wiederaufbau (Acct. No. 50409100. with Deutsche Bundesbank, Frankfurt|Main).

2. (xii) Payment to the foreign suppliers under the import licence should be completed by the 31st December, 1989. A suitable provision should, therefore, be made in the purchase orders|contracts to ensure completion of shipments and payment by 31st December, 1989. In case it is anticipated that payments cannot be completed by that date, a request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi) by 31st October, 1989. Such requests will be considered on merits.

2. (xiii) In the case of import licences whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 2 million, the purchase contracts are required to be submitted by the Indian importer to the Department of Economic Affairs in a single lot. Submission of contracts piecemeal will not be entertained. In this connection the minimum value for eligible contracts explained in para 2(iv) above should be kept in view.

Section III—Payment to foreign suppliers—"Special' Letter of Credit Procedure.

3. (i) Request for issue of Letter of Authority.

Within a fortnight of conclusion of purchase contracts with foreign suppliers against an import licence whose value does not exceed rupee equivalent of DM 2 million [at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)] or within a fortnight from the date of communication of the Government of India [vide para 2(v) (c) above] conveying the approval of KFW to the contracts placed against an import licence whose value exceed the rupee equivalent of DM 2 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs), as the case may be the licensee should submit the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, EEC-I Section, North Block-(Room No. 69), New Delhi. with the request for the issue of Letter of Authority for opening an irrevocable letter of credit in favour of the foreign supplier concerned.

(a) In respect of contracts against import licence whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 2 million.

(i) Three copies of the Purchase Order and three copies of the foreign supplier's confirmation thereto, duly signed by the Importer and Suppliers respectively or photocopies thereof. Attested copies of the orders placed on the Indian Agents and confirmation by such agents are not acceptable.

OR

Three copies of the purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier or photo copies thereof. Attested copies of the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such Agents are not acceptable.

(ii) A request (in triplicate) for issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexuer-II.

(iii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure III from an Indian Bank authorised to deal in foreign exchange. (not applicabe in the case of Public Sector Imports) duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamps Act, 1899.

(iv) In the case of C&F contract, three copies of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above.

(v) A certificate in triplicate vide para 2(iii) above that orders have been placed afer obtaining comparable bids from foreign supplier.

(vi) A certificate that no further contracts will be placed under licence vide para 2(xiii) above.

(b) In respect of contracts against import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 2 million.

In addition to the contract documents furnished earlier (in respect of which KFW's approval will have been obtained by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) vide para 2(v) (c) above), the following documents should be submitted:

(i) A request (in duplicate) for the issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure II.

(ii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian bank authorised to deal in foreign exchange. (not applicable in the case of Public Sector Imports); duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamps Act, 1899.

(iii) In the case of C&F contracts, three copies of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above.

3. (ii) It is clarified that in the case of public sector imports, no bank guarantee is required.

3. (ii) Opening of Letter of Credit.

Letter of Credit can be opened on the strength of the Letter of Authority on any one of the following 10 commercial banks in West Germany designated for this purpose:—

(i) State Bank of India, Frankfurt.

(ii) The Bayerische Vereinsbank, Munich.

(iii) The Commerz Bank, A.G. Frankfurt.

(iv) The Deutsche Bank A.G. Hamburg.

(v) The Dresdner Bank A.G. Gallusanglage 7-8 6, Frankfurt|Main-I.

(vi) Berliner Handles Gasell-schaft Frankfurter Bank.

(vii) Vereins-Und-West Bank, Humburg.

(viii) Bank fur Gemeins—Wirtschaft (Bfg).

(ix) Berliner Bank, Aktiengesellchaft, A. G. Berlin.

(x) European Asian Bank AG, Hamburg.

The importers (both in the public sector and private sectors) and their bankers should specifically indicate the Bank selected by them out of the ten mentioned in para 3(iii) above.

3. (iv) Failure to make the request for issue of Letter of Authority within a fortnight (a) from the date of placement of firm orders in the case of orders against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 2 million or less or (b) from the date of communication of approval of contract by the Ministry of Finance Department of Economic Affairs in the case of contracts against an import licence whose licence value exceeds the rupee equivalent of DM 2 Million, as the case may be will be deemed to be a violation of the Import Control Regulations.

3. (v) Bank Guarantee-amount for which it should be executed.

The Bank Guarantee (one Bank Guarantee for the full value of the contract) where necessary, should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount in foreign exchange for which the Letter of Authority is sought plus 1 per cent of that amount towards incidental and commitment charges and in addition interest and other charges as mentioned in Annexure V. The prevailing rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of Customs Act, 1962 on the date of issue of Import Licence. This rate is meant only for purpose of arriving at the value of bank guarantee to be furnshed by the importer. For purposes of making rupee deposits into Government account towards the foreign exchange cost of imports made under the licence the rupee equivalent will have to be worked out at the composite rate for the D.M. amount spent by the designated commercial banks in West Germany in arranging payments to the foreign suppliers in terms of the public notice No. 15-ITC(PN)|72 dated 28-1-1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)|72 dated 21-7-1972 and 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 as amended from time to time. Any change in this regard will be notified as and when necessary.

3(vi) Issue of Letter of Authority

If the documents specified in para 3(i) above are found to be in order, the Ministry of Finance (Controller of Aid Accounts and Audit), Deptt. of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi will issue a letter of authority to the designated commercial bank in West Germany (as in Annexure-V) authorising payment upto the specified amount to the foreign suppliers on the basis of a "Special" letter of crerdit to be opened by the importer's bank in India on the nominated commercial bank in West Germany. A copy of such authorisation will be sent to Indian License. The original letter of Authority along with a copy thereof will be sent to the concerned Indian Bank authorised to open the Letter of Credit, asking it to submit the original letter of Authority to the designated commercial bank in West Germany along with Letter of Credit opened by it. (Such a direction will be as in Annexure-V. A copy of this communication will also be addressed to the importer.

No Bank in India should provide facilities to the licensee for establishing a Letter of Credit unless a Letter of Authority as explained in this para, has been received by such a Bank directly from the Controller of Aid Accounts and Audit, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance.

3. (vii) The "Special" Letter of Credit on the designated commercial Bank in West Germany should be opened within thirty days from the date of the issue of Letter of Authority under intimation to the Controller of Aid Accounts and Audit, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi. Otherwise the Letter of Authority already issued will be deemed to be no longer valid.

3. (viii) The payments to the foreign suppliers will be made by the designated Commrcial Bank in West Germany on collection of requisite documents and statements. The designated commercial bank in West Germany will obtain reimbursement of the DM amounts from the West German authorities.

3. (ix) Incidental Bank charges incurred by the Bank for payment in the Federal Republic of Germany wherever applicable will be remitted by the concerned bank in India to the designated commercial bank in West Germany through the normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section-IV Responsibility for Rupees Deposits into Government Account.

4. (i) The original shipping documents should invariably be forwarded by the designated commercial Bank in West Germany to the concerned bank in India who should, within 10 days of the receipt of the documents, release these negotiable set of documents of the licensee but only after ensuring that the rupee equivalent of DM amount paid to the German supplier by the designated commercial bank in West Germany plus 1 per cent thereof towards incidental and commitment charges together with interest charges on the above aggregate amount for the period from the date of payment to the foreign supplier or the date of reimbursement by KFW to the designated bank whichever is earlier, to the date of

deposit of the rupee equivalent into. Government account (both days inclusive) is recovered from the importer and deposited into Government account. In terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dt. 10-8-83 the interest charges are to be calculated as under in respect of deposits made in to the Government Account on or after 1st September 1983.

(ii) Where deposits are made within 30 days after, from the date of the 12 per cent p.a. annum supplier or the date of reimbursement is earlier by KFW to the designated Bank whichever is earlier.

(ii) Where rupee deposits are made more than 30 days after the date of payment to the supplier or the date of reimbursement by KFW to the designated Bank whichever is earlier.

(a) for the first 30 days 12 per cent per annum.

(b) for period in excess of 30 days 18 per cent per annum.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the foreign currency payments mae to the foreign supplier will be the composite rate of exchange of laid down in CCI&E's public Notice No. 8-ITC(PN)|70 dated 17-1-76 or as may be notified by the Government from time to time through public notices of the CCI&E or through the Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the original shipping documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

4. (ii) The deposits envisaged in para 4(i) above may be made in cash either at the Reserve Bank of India New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not feasible, the amounts may be remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC (PN)|68 dt. the 24th October 1968 as amended vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dt 31st May, 1974 and Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dt. the 5th October, 1971. The Head of Account to be credited is "K-Deposits and advances-Deposits not bearing interest 843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad. Direct payment Procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit XIX 86-87 (DM 35 Million Credit)".

4. (iii) Remittance will be made in the Challan form prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dt. the 31st May, 1974.

4. (iv) One copy of the Challan from the Reserve Bank of India New Delhi or the State Bank of India Tis Hazari, Delhi for intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Indian Bank which had issued the guarantee, to the Controller of Aid Accounts and Audit Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the concerned nominated bank in West Germany.

4. (v) It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)|68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

4(vi) After the imports under a licence are completed and the importers|banks have deposited into Governemnt account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Account and Audit, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, UCO Bank Building New Delhi-1 in the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantee furnished by the importers, wherever necessary.

Section V—Alteration in the contract.

Any material alteration in the contracts pertaining to the list of goods, terms or schedule of payments, value of goods, etc. will require the prior approval of the Ministry of Finance and the KFW authorities, whether it results in earlier payments, or in postponment of payments.

Such alteration(s) should be promptly intimated by the importer to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi (EECI Section) North Block for securing the approval of the Government of India|KfW. In the same manner as explained in para 2(v) above.

Section VI—Reporting

A quarterly report commencing from the date of issue of the licence should be furnished in duplicate as in Annexure-VII to the M|O Finance, Department of Economic Affairs (EECI Section Room No. 69, North Block) New Delhi showing progress of ordering, delivery of goods, payments to foreign suppliers, etc. and should be continued till all shipments and payments under the contract have been completed. In the case of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 2 Million (at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) the licensee should, in addition to the above mentioned quarterly reports, submit a half-yearly report, as on 30th June and 31st December each year in the prescribed proforma at Annexure-IX (duplicate) on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) of the Indian importing company for at least three years until completion of the project.

Section VII—Miscellaneous Provisions

7. (i) The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licencee which

may affect the Suppliers in carrying out the transactions.

7. (ii) Disputes.

It should be understood that the Government ot India will not undertake any responsibility for disputes if any that may arise between the Indian importers and the foreign supplier.

7. (iii) Compliance with Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence for meeting all obliagtions under the DM 35 Million Capital Goods Agreement with KfW authorities.

7. (iv) Breach or Violations

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

7. (v) List of Annexures

Annexure-I Project data Form

Annexure-II Form of Request for issue of Letter of Authority

Annexure-III Form of Bank Guarantee

Annexure-IV Form of Performance Guarantee

Annexure-V Form of Letter of Authority

Annexure-VI Letter of Instructions forwarding the letter of Authority

Annexure-VII Form of report of rupee deposits-cum-application for release of Bank Guarantee.

Annexure-VIII Form submitting quarterly report.

Annexure-IX Form of Half-yearly Progress Report. (applicable to cases exceeding rupee equivalent of DM 2 Million).

Annexure-I

PROJECT DATA FORM

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

6, Frankfurt|Main, Federal Republic of Germany Palmengartenstrasse 5-9.

Application for Foreign Exchange from German Capital Goods Loan

PROJECT DATA

(1) Application (Firm)

(a) Registered Office (address including State).

(b) Public Sector or private sector undertaking.

(c) Business Line|Branch of Industry.

(d) Partners of Company.

(e) Foreign Collaboration Agreement.

(2) Type of Capital Goods to be financed.

(3) Choice of capital goods based on please indicate the procurement procedure followed. Since the capital goods loan is available for purchases only from Federal Republic of Germany, an indication should be given whether tender enquiries were made| floated and the basis on which the selection of a particular supplier has been made.

(4) Suppliers (Name and address).

(5) Short description of the whole project (for which such capital goods are required).

(6) Local and foreign exchange cost of the whole project, with following break-down of figures.

—Land and building.

—Machinery and equipment.

—Operating Funds.

—Miscellaneous.

(7) Local and foreign financial sources for the whole project (Quantitative statement concerning means of financing. It should be confirmed that Rupee-financing is secured and that foreign exchange requirements not covered by this application are met).

(8) Letter of Intent for Industrial Licence received.

(9) Annual reports with balance sheets and profit and loss accounts for the last two years. If available forecast of cash-flow and profitability.

(10) Capacity :

(a) Average utilisation of existing capacity during the last two years.

(b) In case of under utilisation, please give main reasons.

(11) Sales (last two years).

(12) Market position of the products to be manufactured (if possible figures showing past and expected development).

(13) Employment.

(a) Present number of employees.

(b) Additional employment after completion of project.

(14) Source of raw material supplies.

(15) Time-table for the execution of the project.

ANNEXURE-II

REQUEST FOR ISSUE OF LETTER OF AUTHORITY

To,

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Deptt. of Economic Affairs,
UCO Bank Building,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

(Through EECI Section, Deptt. of Economic Affairs North Block, New Delhi)

Subject : Import of——————————
from——————————
under West German Capital Goods Credit for 86-87 DM 35 Million Credit.

Sir,

In connection with the import of—————— from——————under the above mentioned West German Capital Goods Credit, we furnish the following particulars to enable you to issue the authority for opening the letter of credit through ——————on the State Bank of India, Frankfurt or Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerzbank A. G. Frankfurt or Deutsche Bank, A.G., Hamburg or the Dresdner Bank, A.G, Gallusanlage 7-8. 6, Frankfurt|Main-I or the Frankfurt Bank, Frankfurt|AM Main or Vereins-Und West Bank, Hamburge or Bank fur Gemeins-Wirtschaft (Bfg) or Berliner Bank, Aktiengesellchaft A G., Berlin or European Asian Bank AG, Hamburg.

(a) Name and address of the Importer.

(i) Whether a public or private sector undertaking.

(ii) Category of industry to which it belongs.

(iii) The State in which it is located.

(b) Number, date and value of licence (photostat copy of the licence should be attached).

(c) Value in foreign currency and date of the order placed and accepted by the suppliers. indicating payment terms viz, (c.i.f. or C&F) (In no case. Letter of Authority should be applied for f.o.b. value only).

(d) A certificate in duplicate that orders (with suppliers order confirmation) have been placed within a period of 4 months from the date of import licence. If orders have been placed after the stipulated period of 4 months, a copy of CCI&E's letter|Ministry if Finance's letter authorising extension of time for placing from orders as the case may be, should be attached.

(e) A certificate in triplicate that firm orders have been placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers and that the lowest technically suitable offer has been accepted. In case it is not possible to obtain comparable bids, e.g. proprietory item, full justification therefore should be furnished.

(f) Short description of the goods to be imported.

(g) Net foreign currency amount payable to suppliers to be expressed in the DM currency) for which letter of authority is required (excluding Agency Commission).

(h) Amount of Agency commission in foreign currency and name and address of Indian Agent.

(i) Expected date of completion of delivery.

(j) A schedule showing probable dates on which payments under the contract will fall due.

(k) In the case of import licence upto a value which is equivalent to DM 2 Million, a certificate that all the contracts against the import licence have been placed and that no further contract will be placed.

The Letter of Credit will be opened through

——————————————

(Name & address of the Indian Scheduled Bank, authorised)

——————————————

to deal in foreign exchange

and the Bank Guarantee No.——————
dated——————
for Rs.——————furnished by the above mentioned bank and which has been fully adjusted by the Collector of stamps, in accordance with section 31 of the Stamps Act, 1899 is attached.

Yours faithfully,
(Licensee)

Copy forwarded to——————Bank for information.

ANNEXURE-III

GUARANTEE BOND

President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to arrange for payment in (mention the appropriate amount in foreign currency) for the import of——————————————by——————————

(hereinafter called the 'importer') against the licence No.

——————————————dated——————

issued under the terms and conditions of West German Capital Goods Credit for 1986-87 and in pursuance of import in favour of the importer against the above mentioned agreement, we———————————Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by the———————————

(Name of the Commercial Bank of West Germay) nominated by the importer converted at the prevailing rate of exchange calculated as per instructions issued by the Government in the matter from time to time plus 1 per cent thereon within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by Govt. of India under the said credit together with interest thereon at the rates of 12 per cent per annum for the first 30 days and at 18 per cent per annum for the period in excess thereof reckened from the date of payment to the foreign supplier or the date of reimbursement by KfW to the designated bank whichever is earlier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Govt. account. The negotiable set of import documents received from the designated commercial Bank in West Germany will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the——————————Bank also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Govt. at such place and in such manner as the Govt. may from time to time direct, such sums not exceeding Rs.———— or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereupon at the rate of 12 per cent per annum for the first 30 days at 18 per cent per annum for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment to the foreign supplier or the date of reimbursement by KFW to the designated bank whichever is earlier. The decision of the Govt. as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Govt. by us————————Bank shall be final and binding on us——————————Bank.

3. We——————————Bank further agree that in case of increase in the value of imports or decrease in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

4. We——————————Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement|contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claim satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be effected by any change in the constitution of the importer of the——————————Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the power exercisable by it against the importer and the——————————Bank shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reasons of time being given to the Importer or any other forebearance, act or commission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or things whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the——————————Bank from its such liability.

6. We——————————Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted to Rs.——————(plus interest and other charges not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and it will remain in force till the——————————day of** (month)——————19 . Unless claims under the guarantee are made in writing within 1-1|2 years thereafter, i.e., upto——————————all government rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

dated the————day of————

for the——————Bank.

Accepted for and on behalf of the President of India, by Shri (Name and designation)

Signature Signature

*This date shall be arrived at by adding one month to the date upto which the Letter of Authority is required to be kept valid.

Notes :—(1) The value of the stamped paper in which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

(2) The value of the Bank Guarantee vide papers 2 and 7 above shall be arrived at after adding 1 per cent to the net C&F or CIF value of the contract converted into rupees at the Customs exchange rate prevailing on the date of issue of the Import Licence.

ANNEXURE—IV

(Performance Bond)

Address of the beneficiary.

In consideration of your having contracted on..... .....with Messrs. ..... (hereinafter called the Contractor) for ..... (Project) at a contract price of .....

and since it being a condition of the contract that a performance bond of 10 per cent of the contract price be established.

We, the undersigned Bank, waving all objections and defences under the aforsaid contract, hereby irrevocably and independently guarantee to pay to you without delay upon your first written demand any amount claimed by you up to the extent of..... (in words.....) against your written declaration that the Contractor has refused or failed to perform the aforementoined contract.

In case of any claim under this guarantee, payment will be effected to Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt/Main (Account number 50 409 100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main) in favour of ..... .

This guarantee shall expire on the ..... (Date) by which date we must have received any claim by registered letter or by cable.

It is understood that you will return this guarantee to us on expiry of settlement of the total amount to be claimed hereunder.

Date..... Bank .....

ANNEXURE—V

LETTER OF AUTHORITY NO.....

No.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the 198

(Name and address of the designated bank)
Federal Republic of Germany.

Subject :—Payment to Foreign Suppliers under Direct payment Procedure—DM 35 Million Capital Goods Credit dated 25-5-1966 from the Federal Republic of Germany (AL 8665333) Import Licence No.... .....dated .....

Dear Sirs.

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, we hereby authorise you to spend such an amount in DM as may be found necessary to pay .....
.....
.....
.....
.....
to Messrs .....
.....
.....
.....
under the letter of credit to be opened by .....
.....
.....
for covering the import of .....
against contract entered into by Messrs.....
.....
.....

2. Since the amount is to be financed under DM 35 Million (XIX) West Germany Capital Goods Credit, you may negotiate the documents upon presentation and simultaneously obtain reimbursement from Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt and pay the supplier. In case KFW is not reimbursing the amount for one reason or the other, you may approach this Department immediately for necessary reimbursement.

3. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to .....
and a payment advice alongwith one set of documents (non-negotiable) sent to us for information.

4. Your banking charges under the above letter of Credit will be settled directly with you by the..... .....by remittance from India.

5. The authority will remain valid upto .....

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy to :

1. One to the Indian Bank
2. The Importer.
3. KfW, Frankfurt in continuation of this Ministry's letter No. .....dated ....

They are requested to arrange for expeditious reimbursement immediately on request from .....Bank.

4. EEC.I Section.

ANNEXURE VI

To

Subject:—Import under West German DM 35 Million Capital Goods Credit for 1986-87 Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit—Import Licence No. .....Dated .....

Dear Sirs,

With reference to letter No. ..... dated the .....from the ..... in which they have requested permission for opening a letter of credit through your bank under the West German DM 35 Million Capital Goods Credit for 1986-87, I am to enclose the Department of Economic Affairs Letter of Authority No. (with a spare copy) dated the.....issued to the..... .....authorising them to arrange payment upto ..... to the foreign supplier. The letter of Authority should be sent by you to the .....along with the letter of credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the letter of credit for an amount not exceeding..... within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to this Department. In terms of para 10, Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days after the final date for shipments stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importer is in possession of a valid import licence.

3. The ..... Bank may be asked to negotiate the documents upon presentation and simultaneously obtain reimbursement from KfW and pay the supplier.

4. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the amounts in Dautsche Mark spent by (name of the designated commercial Bank in West Germany) to effect payments in DM to the suppliers in the Federal Republic of Germany including Land Berlin..... plus 1 per cent thereof towards incidental and Commitment charges in terms of the guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of the documents from the ..... The rupee equivalent of the amount disbursed to the foreign suppliers will have to be calculated by applying the prevailing composite rate of canversion as instructed in Public Notice No. 15-ITC(PN)|72 dated the 28th January 1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)|72 dated 21-7-1972 and 8-ITC(PN)|76 dated the 17th January 1976 until further notice. This rate if subject to the revision if and when the IMF party rate of exchange undergoes change. Interest at the rate of 12 per cent per annum for the first 30 days and at 18 per cent per annum for the period in excess thereof as mentioned in the Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10th August 1983 reckoned from the date of payment of the suppliers or the date of reimbursement by KfW to the designated Bank which is earlier and the date on which the rupee equivalent are deposited (both days inclusive) is also required to be deposited into Government account. It will be your responsibility to arrange for the deposit of these amounts and to ensure that the deposits so made are correct all respects before the shipping documents are handed over to the importers.

5. The amounts should be deposited in cash either with the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a demand draft obtained by you from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tiz Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection, your attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 233-ITC (PN)|68 dated the 24th October, 1968 as amended by Public Notice No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-74 and No. 132-ITC (PN)|71 dated the 5th October, 1971. The head of account to be credited is "K-Deposits and Advance-b-Deposits not bearing interest-843-Civil Deposite-Deposits for purchase etc. abroad under Direct Payment procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West Germany Capital goods Credit for 1986-87 DM 35 Million Credit).

6. One copy of the challan in original, casts where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi should be sent by you to the address given below, alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the nominated German Bank.

The Controller of Aid Accounts & Audit,

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

UCO Bank Buliding, Parliament Street, New Delhi-110001.

In case where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated the 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the Address given above. In all cases, full|particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

7. A payment clause to the effect that the insurance claim, if any, received from the Insurance Company and|or claims, if any, arising out of Bank Guarantee relative to performance guarantee should be remitted by the Insurance Company and|or the Bank giving the guarantee in DM direct to KfW (Account No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt|Main) under advice to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, New Delhi, may be inserted in the Letter of Credit to be opened by you.

8. The letter of Credit may be opened in the foreign currency under which the Letter of Authority is issued.

9. Indian Agent's commission if any, is to be paid in rupees in India.

10. The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(ACCOUNTS OFFICER)

Copy forwarded to M|s..... with a copy of teh Letter of Authority No..... for information, with reference to their letter quoted above.

Accounts Officer.

ANNEXURE VII

Proforma

1. Name and full address of the Importer|licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

2. The import licence number and date and value.

3. Number, date and amount of the guarantee furnished.

4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(a) Number and date of the Letter of Authority.

(b) Amount of the Letter of Authority (in Foreign currency).

5. Particulars Imports effected and rupee deposits made.

(a) Name of suppliers.

(b) Amount (in foreign currency) actually paid to the supplier (s) mentioned at (a) above.

(c) Date of payment to the supplier by the nominated Bank in West Germany.

(d) Amount of rupee deposits :

(i) Rupee equivalent of foreign currency amount paid to the supplier @ 1 unit of foreign exchange =Rs.)

(ii) interest paid.

(iii) period for which the interest has been calculated from.

(iv) Total Deposit made.

(v) Date and place of deposit

(vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed) If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.

(vii) If the rupee deposit mentioned in (d) (iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 to be indicated.

6. Amount utilised and balance unutilised (in foreign currency) against each letter of authority.

7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised Signatures)

ANNEXURE V

PROFORMA

Name of Company	Private Sector/ Public Sector	Category of Industry	Address of Company	Amount of allocation (Rs.)	No. date and value of I.L. (Rs.)	Value of contract (foreign currency)	Value of L.C.	Amount paid against the LC (foreign currency)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Note : In respect of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 2 Millions at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs), the licencee will be required to submit in addition half yearly report as in Annexure-IX on special event, any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) for at least three years until completion of the project.

ANNEXURE IX

PROFORMA FOR SUBMISSION OF HALF-YEAR REPORTS ON PROGRESS OF PROJECTS FINANCED UNDER WEST GERMAN CAPITAL GOODS CREDIT—30TH JUNE/31ST DECEMBER.

1. Nme of Company and address (address of Head Office and also address of factory).
2. State in which it is located (if the factory is located in State other than the State in which the Head Office is located, it should be clearly indicated)
3. Whether a public sector or private sector undertaking.
4. Branch of Industry to which it belongs.
5. Value of allocation under the credit approved by the Government of India.
6. Brief Description of the Project including description of the Capital Goods items of manufacture.
7. No., date and value of the import licence.
8. Value of supply contract(s) under the licence in DM.
9. Amount paid to the suppliers as on . . . . . in DM.
10. If there is a balance in the import licence, whether it is likely to be utilised. If so, how much and how soon it is going to be utilised by further contracting.
11. Keeping of time schedule, compasision of schedule with actual dates, reasons or changing the time, time schedule.
12. If not, revised time-table with detailed reasons therefor.
13. Progress of the Project
    (i) Supply of the goods (terms of delivery)
    (ii) Erection (kind and quality)
    (iii) Commissioning (final acceptance, trial runs results of operation)
14. Date of completion of the Project
15. Economic implication of the Project.
16. Realisation of the Cost and Finance Plan comparison of plan with actual values.
17. Any special events connected with the implementation of the Project.
18. Latest annual report of the Project Sponsor (2 copies).

N.B. : Strike out the portions not applicable.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986